eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद–19(1)छ) और सफाई कामगार समुदाय : मानवीय गरिमा दृष्टिकोण

[1]निरूपमा सिंह
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय, जहाँगीराबाद बुलन्दशहर, उ0प्र0

Received: 31 August 2023 Accepted and Reviewed: 31 August 2023, Published : 10 September 2023

Abstract

भारत में लोकतांत्रिक संविधान की व्यवस्था लागू है तथा समाज में नित नए वैज्ञानिक तकनीको को अपनाया जा रहा है जिसके लाभ भी भारतीय नागरिकों को संविधान लागू होने तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हो रहे हैं। यह शोध पत्र भारतीय संविधान के भाग–3 ''मौलिक अधिकारों'' में अनुच्छेद–19(1)छ जो नागरिको को कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के रूप में देता है तथा यह स्वतंत्रता सफाई कामगार समुदाय जिसे वाल्मीकि समाज भी कहा जाता है, के संदर्भ में कितना कारगर साबित हो सका है और उनकी मानवीय गरिमा को किस रूप में प्रभावित करता है, समझने का प्रयास है।

मुख्य शब्दः – अनुच्छेद–19(1)छ), सफाई कामगार समुदाय, मानवीय गरिमा का दृष्टिकोण।

Introduction

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान पूर्णतः लागू किया गया तथा देश में लोकतांत्रिक व गणतान्त्रिक प्रक्रियाओं के आधार पर प्रशासन को संचालित किया गया। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत में बिना भेदभाव के सभी को समान रूप से अपने विकास के अवसर उपलब्ध हो सके, था। इसी के साथ मानव की गरिमा को बनाने तथा ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करने जिससे व्यक्ति की गरिमा में अभिवृद्धि हो सके का उद्देश्य भी था। गरिमा शब्द वर्तमान समय में बहुतायत रूप से उपयोग किया जाता है, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर। गरिमा को मुख्यतः सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, आदर आदि के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। मानवीय गरिमा के लिए अंग्रेजी भाषा में Human Dignity शब्द का प्रयोग किया जाता है। संधि विच्छेद करने पर यह Human अर्थात् मानव, Dignity अर्थात् आदर। मिलाकर उपयोग करें तो मानव का आदर। मानव के रूप में व्यक्ति का सम्मान एक पशु समान व अभावों से ग्रस्त जीवन द्वारा नहीं किया जा सकता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 में इसलिए संशोधन करते हुए ''गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार'' को शामिल किया गया। एक गरिमामयी जीवन में मनुष्य को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक उन्नति करने के अवसर किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वैधानिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंगीकृत ''सार्वभौम मानव अधिकार घोषणा'' 1948 में मानव गरीमा के विषय में कहा गया कि–''सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान है। उन्हें बुद्धि और अंतश्चेतना प्रदान की गई। उन्हें परस्पर भ्रातत्व की भावना से कार्य करना चाहिए।''[1]

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

भारतीय संविधान भी अपनी प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने की बात कहता है और इसी उद्देश्य प्राप्ति हेतु मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। कुल छः मौलिक अधिकार हैं–

1. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24)
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)
5. शिक्षा व संस्कृति सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

प्रत्येक अधिकार के अन्तर्गत अनेक अधिकारों का उल्लेख संविधान में किया गया है, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अन्तर्गत निम्न अधिकार सभी भारतीय नागरिको को प्राप्त हैं–

1. (क) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
   (ख) शान्तिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता।
   (ग) संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता।
   (घ) भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाध संचरण की स्वतंत्रता।
   (ङ) भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता।
   (छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता।

इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद–19(1)छ के माध्यम से भारतीय नागरिक अपनी आजीविका चलाने हेतु कोई भी रोजगार करने के लिए स्वतंत्र है। परन्तु यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है, सरकार युक्तिसंगत निबर्न्धन यानी रोक भी लगायी है, जैसे शराब, वैश्यावृत्ति हत्या, मानव तस्कारी का व्यापार करना, किसी का भी मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है।

सफाई कामगार समुदाय की स्थिति–

भारत में सफाई कामगार समुदाय को अनेक नामों से जानता जाता है, यथा वाल्मीकि, हेला, भंगी, मेहतर, लालबेंगी, आदिजम्बा इत्यादि।[2] ऐतिहासिक रूप से इस समुदाय के लोग अस्पृश्य माने जाते हैं तथा समाज में सबसे निम्न पायदान पर खड़े हुए अति शोषित समाज है, जिसमें न शिक्षा अच्छी है, न आर्थिक स्थिति अच्छी है। गरीबी और अभावों में ये लोग जीवन जीते हैं। जाति व्यवस्था में इन्हें अन्य सभी वर्णों के लोगों की गन्दगी को साफ करने का कार्य दिया गया है।

एक लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिको को समान रूप से विकास के अवसर मिलते हैं, भारत में भी मिल रहे हैं। वर्ण व्यवस्था की समाज में स्वीकृति के बावजूद ब्राह्मण शिक्षण के अलावा सेना, व्यापार, नौकरिया इत्यादि कर रहे हैं, यही स्थिति क्षत्रिय, वैश्य वर्ण की भी है, शुद्र वर्ण के लोग भी अन्य कार्य जो जातिगत व्यवस्था से इतर हैं, करने लगे हैं। परन्तु सफाई कामगार समुदाय में आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग सफाई करने का कार्य कर रहे हैं। इस समाज के लोगों की संख्या सभी क्षेत्रों में है परन्तु सफाई कर्मी की भूमिका के इतर बहुत ही ज्यादा कम है या ना के बराबर है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

सफाई व्यवस्था में सफाई कामगार समुदाय के लोगों की संख्या– इनकी संख्या की स्थिति को कुछ नगर पालिकाओं में किए गए सर्वेक्षण के माध्यम से स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है।

1. गूंटूर व विजयवाड़ा दोनो नगर पालिकाओं में कुल 484 सफाई कर्मचारियों के बीच सर्वेक्षण किया गया। इसमें पिछड़ा वर्ग से 30 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति से 17 प्रतिशत व अन्य में 1 प्रतिशत सफाई कम्रचारी थे, जबकि 52 प्रतिशत अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारी थे।[3]
2. तिरूनेवेली नगर पालिका पर हुए सर्वेक्षण में 88.9 प्रतिशत सफाईकर्मी अनुसूचित जाति के थे, जबकि 11.1 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के सफाई कर्मचारी थे।[4]
3. हरियाणा के लाडवा, इन्द्री, थानेसर व रादौर में किए गए क्रास सेक्शन सफाई कर्मचारियों के अध्ययन में भी सभी 300 सफाई कर्मचारी अनुसूचित जाति के वाल्मीकि समुदाय से ही मिले।[5]
4. टिटौटा ग्राम उत्तर प्रदेश में भी वाल्मीकि समाज के सभी लोग चाहे वे सेना में हो, अस्पताल या स्कूल या पी0एम0ओ0 में, वे सफाई कर्मचारी के रूप में ही कार्य कर रहे हैं।[6]

उपरोक्त उदाहरण सम्पूर्ण भारत में सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में मिलते हैं। न तो सफाई कर्मचारी के रूप में इन्हें पर्याप्त वेतन मिलता है, न ही कार्य करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित साधन मिलते हैं, न ही यह सम्मानीय कार्य समाज में समझा जाता है, इसके बावजूद बड़ी संख्या में सफाई कामगार समुदाय के लोग सफाई के काम में लगे हैं। लोगों द्वारा फैलाई गन्दगी को साफ करते हैं तथा सफाई करने वाले समुदाय के रूप में ही पहचाने जाते हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मार्च 2012 की रिपोर्ट में कहा गया है–''स्वच्छकार जातिवाद और छुआछूत के प्रतीक हैं क्योंकि अमानवीय और घृणित कार्य उन्हें हाथ में लेने अपेक्षित होते हैं। देश में उनका समाज हाशिये पर है, उपेक्षित है और शोषित है।'' आगे इसी रिपोर्ट में उल्लेख है कि ''वस्तुत मानवीय प्रतिष्ठा के दावों का निरादर/अस्वीकार करने पर कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है...जबकि सी0आई0सी0, एन0एच0आर0सी0 ने ऐसे चूककर्ताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया है।

प्रोफेसर बार्कर ने कहा–''स्वतंत्रता के उपभोग में सामर्थ्य और भावना होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति में अपनी अस्मिता होनी चाहिए और साथ ही दूसरों की अस्मिता के प्रति भी आदर होना चाहिए और यह बात सम्पूर्ण समाज में पाई जानी चाहिए। यह होने पर ही लोकतांत्रिक राज्य की वास्तव में प्राप्ति हो सकती है।''[7]

उपरोक्त कथन इस संदर्भ में बिल्कुल उचित प्रतीत होता है। मेरठ में सफाई का कार्य करने वाले वाल्मीकि लोगों से बात करने पर यह पता चला कि यदि वे अन्य जगहों पर कार्य करते हैं तो चाहकर भी उसे लगातार नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोगों को जैसे ही उनकी जाति के विषय में किसी भी प्रकार से जानकारी हो जाती है, वे उनसे सामान लेना बन्द कर देते हैं और फिर काम चलना धीरे–धीरे कम होकर बन्द ही जाता है, फिर उन्हें मजबूरी में जातिगत पेशे पर ही लौटना होता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

बेशक संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से कोई भी रोजगार अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान कर रखी है और समाज में यह कार्य भी कर रही है परन्तु वाल्मीकि समुदाय जो ऐतिहासिक रूप में भी सफाई कामगार समाज था, वो आज भी इसी कार्य को करने को मजबूर है। शिक्षा के अभाव में इच्छुक भी दिखते हैं।

निष्कर्ष रूप में यह विचार निकलता है कि अनुच्छेद 19(1)छ के माध्यम से कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता व्यावहारिक रूप में सफाई कामगार समुदाय को प्राप्त नहीं हो पा रही है, इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हैं। इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है कि जब यह कार्य ही समाज में सम्मानीय नहीं माना जाता है तो इसे करने वालो को समाज, सम्मान क्यों देगा। तो सफाई कामगार समुदाय मानवीय गरिमा को भी नहीं प्राप्त कर पाता है। उसे अभावों व अमानवीय परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है तथा जीवन भी व्यतीत करना होता है जोकि पीढ़ी दर पीढ़ी चक्र चलता रहता है। सारे नियम मौजूद हैं, इनकी स्थिति को सुधारने हेतु परन्तु समाज के साथ ही सफाई कामगार समुदाय को स्वयं की स्थिति को सुधारने के लिए आगे आना ही होगा। तभी भारत में वास्तविक लोकतन्त्र होगा।

सन्दर्भ सूची–

1. बसु डॉ0 दुर्गादास, भारत का संविधान – एक परिचय, 2009, लेक्सिस नेक्सिस बटरवर्थ्स वाधवा, नागपुर, पृ0सं0–28
2. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग वार्षिक रिपोर्ट, 2010–11
3- A study on Socio-Economic Status of Sanifary Workers in the Municipal corporations of Quntur and Vijaywada (https://dbrcindia.org>images)
4- A study on the working condition of Sanitary workers in Tirunelveli Corporation (https://www.litsrd.com)
5- Safai karmchari (Sanitary workers)/Scavengor Community and risk of coronavirus Covid-19 Pandemic in India. (https://journal.sagepub.com)
6. गांव में वाल्मीकि समाज : एक अवलोकन। (https://www.socialresearchfoundation.com)
7. बसु डॉ0 दुर्गादास, भारत का संविधान – एक परिचय, 2009, लेक्सिस नेक्सिस बटरवर्थ्स वाधवा, नागपुर, पृ0सं0–29